

रा.भा. 7(2)/अनु.कारं./2018/ 196

दिनांक 04/11/2018

परिपत्र / CIRCULAR

विषय :- हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिये जाने के बारे में :

संदर्भ :- सं.रा.भा.7(1)/राकास,अनु. का/2018/192, कार्यवृत्त मद सं.-3.

उपर्युक्त विषय के संबंध में सभी सदस्य कार्यालयाध्यक्षों को यह सूचित करना है कि दिनांक 20/11/2018 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में माननीय उप-सचिव (राजभाषा) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य राजभाषा नियम-5 का अनुपालन करते हुए हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में देना सुनिश्चित करेंगे और इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता हेतु राजभाषा विभाग से संपर्क करेंगे ।



(डॉ. अनिल कौशिक)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

दमण

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष एवं

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, दमण ।

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ :

1. प्रशासक के निजी सचिव, सचिवालय, दमण ।
2. सचिव (राजभाषा) सचिवालय, दमण ।
3. समाहर्ता की वैयक्तिक सहायक, समाहर्तालय, दमण ।
4. उप-निदेशक (कार्यान्वयन) भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पश्चिम), केन्द्रीय सदन, छठा तल, कमरा संख्या-601, सेक्टर-10, बेलापुर, नवी मुंबई-400 614 ।
5. राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को इसे प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अनुरोध सहित ।
6. कार्यालय प्रति ।